

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2010/माघ 30, 1931

No. 3591

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2010/MAGHA 30, 1931

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2010

का.आ.427(अ).— केन्द्रीय सरकार, संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 अप्रैल, 2010 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 1-13/2009-ई. ई.-4]

अंशु वैश्य, सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (Department of School Education and Literacy) NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2010

S.O. 427(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Constitution (Eighty-sixth Amendment) Act, 2002, the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 2010 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. 1-13/2009-EE-4] ANSHU VAISH, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2010

का.आ.428(अ).— केन्द्रीय सरकार, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए 1 अप्रैल, 2010 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 1-13/2009-ई. ई.-4] अंशु वैश्य, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2010

S.O. 428(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 2010 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. 1-13/2009-EE-4] ANSHU VAISH, Secy.